

DEPARTMENT OF LAND AND FARMING

KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A+" Grade NAAC Accredited)

L&F No./21/.../2020/4483
Dated: 05/05/21

To

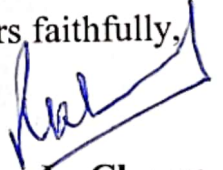
The Director, Information Technology Cell,
Kurukshetra University,
Kurukshetra.

Subject: Licensing out the university lands situated in various villages, Tehsil-Guhla, District- Kaithal and Tehsil- Thanesar, District- Kurukshetra for the year 2020-21.

D/Sir,

The Vice-Chancellor has passed the following orders for taking further necessary action by the Director, Information Technology Cell. The copy of original orders alongwith copy of auction notice is enclosed herewith for ready reference for uploading the information on the website www.kuk.ac.in.

Yours faithfully,

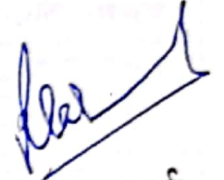


**Professor-In-Charge
(Land & Farming)**

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि जिला कुरुक्षेत्र के गांव लुखी फार्म, सीवरेज फार्म व जिला कैथल के गांव पीडल, सुल्तानिया प्लाट, भूना, अरनौली, अगौंध, दाबा, ककेड़ी, खुशहाल माजरा, टटीयाना-1, टटीयाना-2 और चक्कू लदाना में कृषि कार्यों के लिए एक वर्ष (2021-22) के लिए ठेके पर दी जाएगी। जिसकी बोली खुलेआम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के क्रश हॉल में दिनांक 15-05-2021 से 20-05-2021 तक होगी व बोली के समय सभी बोली दाताओं को कोरोना (कोविड-19) से सम्बंधित केंद्र व राज्य सरकार की हिदायतों जैसे मास्क, सेनिटाइजर व दो गज सामाजिक दूरी आदि का पालन करना होगा। लुखी फार्म की भूमि लगभग 105 एकड़ है बाकी उपरोक्त सभी गांव की भूमि लगभग 21 से 26 एकड़ प्रत्येक गांव में है। बोली के नियम, शर्तें व कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट: www.kuk.ac.in पर उपलब्ध है। बोली से सम्बंधित जानकारी भूमि एवं कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से भी प्राप्त की जा सकती है।



प्रौफ़ेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

दूरभाष न०. 98134-24742

93541-22444

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तहसील थानेसर (कुरुक्षेत्र) व तहसील गुहला (कैथल) के भिन्न-भिन्न गांवों की जमीन की बोली विश्वविद्यालय परिसर में ओडिटोरियम के क्रश हाल (Crush Hall) में खुलेआम निम्नलिखित क्रमानुसार काश्त के लिए बतौर लाइसेंस पर दी जाएगी।

क्रम. सं०	स्थान / गांव का नाम	रकबा		बोली की तिथि	समय
		कनाल	मरला		
1.	लुखी फार्म	838	12	13-05-2021	प्रातः 10 बजे
2.	भुना	198	13	13-05-2021	दोपहर 2 बजे
3.	खुशहाल माजरा	201	18	15-05-2021	प्रातः 10 बजे
4.	अगौंध	215	18	15-05-2021	दोपहर 2 बजे
5.	अरनौली	198	04	17-05-2021	प्रातः 10 बजे
6.	सुल्तानिया प्लाट	202	01	17-05-2021	दोपहर 2 बजे
7.	दाबा	206	06	18-05-2021	प्रातः 10 बजे
8.	ककेडी	202	19	18-05-2021	दोपहर 2 बजे
9.	पीडल	205	01	19-05-2021	प्रातः 10 बजे
10.	टटीयाना भाग - 1	99	07	19-05-2021	दोपहर 2 बजे
11.	सीवरेज फार्म	164	00	20-05-2021	प्रातः 10 बजे
12.	चक्कू लदाना	199	17	20-05-2021	दोपहर 12 बजे
13.	टटीयाना भाग - 2	38	02	20-05-2021	सांय: 3 बजे

बोली की शर्तें :

1. सभी बोली दाताओं को सूचित किया जाता है कि बोली के समय कोरोना (COVID-19) से सम्बंधित केंद्र व राज्य सरकार की हिदायतों जैसे मास्क, सैनिटाईजर व 2 गज की सामाजिक दूरी आदि का पालन करना होगा।
2. बोली के समय पर केवल बोली दाता को ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. भूमि एक साल के लिए बतौर लाइसेंस पर दी जा रही है। एक साल के लिए लाइसेंस की पूरी रकम बोली की समाप्ति पर पैशगी जमा करवानी होगी।
4. भारत सरकार के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था 2,00,000/- रुपये से अधिक नगद का लेन-देन नहीं कर सकता। इसलिए सफल बोली दाता को पूरी रकम RTGS के रूप में कुलपति महोदय के खाता न0 10139650221 बैंक का कोड IFSC- SBIN0001600 भारतीय स्टेट बैंक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उसी दिन जमा करवानी होगी।
5. बोली की रकम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खाते में आने के बाद ही सफल बोली दाता कृषि योग्य भूमि को लाइसेंस पर लेने का हकदार होगा।
6. सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय की भूमि दूसरे व्यक्ति को देने का हक नहीं होगा।
7. लाइसेंस का समय 15-05-2021 से 14-05-2022 तक होगा। लाइसेंसदार को भूमि एक साल के समय की समाप्ति पर खाली करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के आखिरी दिन के बाद यानि 14-05-2022 को विश्वविद्यालय का कब्जा होगा। इसके बाद यदि भूमि में कोई भी फसल खड़ी होगी अथवा खेती के औजार मशीन आदि लगी रह जाएगी तो उस पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा लाइसेंसदार को कोई हक नहीं होगा कि वह अपने सामान को उठा सके।
8. लाइसेंसदार को भूमि में से मिट्टी उठाने की इजाजत नहीं होगी।
9. भूमि पर किसी किस्म के नाजायज कब्जे की जिम्मेदारी लाइसेंसदार की होगी।
10. लाइसेंसदार को अपने खर्च पर पानी की नालियाँ आदि बनानी होगी।
11. लाइसेंसदार केवल कृषि कार्यों के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा।
12. लाइसेंसदार को बोली का शर्तनामा लिखवाने के लिए 200/- का स्टाम्प पेपर दफ्तर में देना होगा।
13. ऐसे व्यक्ति को बोली देने का अधिकार नहीं होगा, जिसने अभी तक पिछला बकाया रुपया नहीं दिया है। यदि वह मौके पर पिछला रुपया जमा करा दे तो उसे बोली देने का अधिकार दिया जाएगा।
14. जिन गांवों में विश्वविद्यालय ने ट्यूबवैलो पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है लाइसेंसदार को बिजली का वर्षभर

15. यदि किसी लाइसेंसदार ने अपनी मर्जी से कोई भी ट्यूबवैल लाइसेंस के समय में लगवाया तो उसका खर्चा विश्वविद्यालय वहन नहीं करेगा।
16. जिस गांव में बिजली द्वारा संचालित ट्यूबवैल लगवाये गये हैं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी लाइसेंसदार की होगी और वह ट्यूबवैल तथा उससे सम्बंधित मशीनरी इत्यादि ठेके की समाप्ति पर चालू-हालत में देगा। लाइसेंसदार को ट्यूबवैल चलती हालत में लेते समय रुपये 25,000/- व जिस गांव में दो ट्यूबवैल हैं उसके 50,000/- की धरोहर राशी नकद भूमि एवं कृषि विभाग में जमा करानी होगी। ठेके की समाप्ति पर चलती हालत में ट्यूबवैल देने पर धरोहर राशी वापिस कर दी जाएगी। लाइसेंसदार को बिजली विभाग में जमा करना होगा और रसीद भूमि एवं कृषि विभाग को दिखानी होगी व ट्रांसफोर्मर को लाइसेंस समय में कोई भी किसी किस्म का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद/स्वयं लाइसेंस धारक की होगी।
17. लुखी फार्म पर पांच ट्यूबवैल चलती हालत में है तथा बिजली का कनेक्शन है। लुखी फार्म पर एक गैरेज तथा 2 कमरे हैं और फार्म यार्ड (खलियान) की भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। तथा वहां पर लगे पेड़-पौधे सुरक्षित रखने होंगे। ट्यूबवैल तथा मकान आदि जिस हालत में है उसी हालत में यानि चलते तथा दुरुस्त हालत में देने होंगे। ट्यूबवैल तथा भवनों आदि की Security (1,25,000/-) एक लाख पच्चिस हजार रुपये अग्रिम जमा करवानी होगी जो बाद में ठेका समाप्ति पर वापिस कर दी जाएगी। फार्म पर लगे पेड़ आदि जितनी संख्या में है और जिस हालत में है उसी अवस्था में वापिस करने होंगे।
18. नहरी पानी का आब्याना लाइसेंसदार को अग्रिम देना होगा।
19. बोली सुरु होने के बाद कोई भी बोलीदाता कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जब तक बोली समाप्त नहीं हो जाएगी। अगर कोई बोलीदाता बाहर जाएगा तो उसको बोली देने का अधिकार नहीं होगा।
20. अगर कोई बोलीदाता बोली के समय में एक दूसरे से झगड़ा या मारपीट, गाली-गलौच आदि करेगा तो उसकी सिविल रिट जपत कर ली जाएगी और उसको बोली से बाहर कर दिया जाएगा ऐसे बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
21. किसी भी बोलीदाता या अन्य को बोली के समय में किसी भी तरह का हथियार लाने का अधिकार नहीं होगा अगर किसी के पास हथियार होगा तो उसको बोली से पहले KUK थाने में जमा करवाना होगा।
22. किसी भी लाइसेंस को ट्यूबवैल के बोर में वर्षा का पानी या अन्य पानी उतारने का हक नहीं होगा अगर ऐसा किया तो ट्यूबवैल का पूरा खर्चा लाइसेंस को देना होगा अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।
23. अगर लाइसेंस के समय में ट्रांसफोर्मर या अन्य कोई सामान चोरी होता है तो उसका खुद लाइसेंस जिम्मेवार होगा।
24. यदि अन्य कोई शर्त होगी तो वह बोली के समय सुना दी जाएगी।
25. माननीय कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किन्हीं कारणों से अत्याधिक बोली को भी रद्द कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

श्री सुखबीर सिंह (एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर) 098134-24742, 93541-22444


प्रोफेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)

पु.क्र.:कृ0&भू0/2021/नीलामी/ 4499-4600

दिनांक 04/05/2021

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1 डिप्टी कमिशनर व पुलिस अधिक्षक, कुरुक्षेत्र, कैथल।
- 2 एस. डी. एम., डी.एस.पी.; तहसीलदार, बी.डी.ओ. तथा सचिव नगरपालिका, थानेसर, गुल्हा।
- 3 उपरोक्त भूमि से सम्बंधित पटवारी, सरपंच, नम्बरदार, चौकीदार तथा पिछले काश्तकार गांव के सरपंच तक प्रार्थना की जाती है कि वे अपने गांव में मुनादी करवाकर सभी को सुचना दें देवे। इसकी फीस चौकीदार को बोली के समय मौके पर दे दी जाएगी ताकि बोली में ज्यादा से ज्यादा बोलीदाता पहुंच सके।
- 4 एक प्रति निजि सचिव कुलपति महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।
- 5 एक प्रति अधिक्षक दफ्तर कुल सचिव, कुल सचिव महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।


प्रोफेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)